कार्यालय, आरा नगर निगम

पत्रांक

प्रेषक,

नगर आयुक्त
आरा नगर निगम, आरा।

सेवा में,

वरीय लेखा परीक्षा अधिकारी,
महालेखाकार कार्यालय, समाजिक प्रक्षेत्र-1,
स्थानीय लेखा परीक्षा शाखा, पटना

आरा, दिनांक वीं दिसम्बर, 2018

विषयः— **नगर निगम, आरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या—1200/16—17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित उपलब्ध कराने के संबंध में।**

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के आलोक में नगर निगम, आरा के अंकेक्षण प्रतिवेदन संख्या—1200/2016—17 का अनुपालन प्रतिवेदन साक्ष्य सहित इस पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नकः—यथोपरि।

विश्वासभाजन

नगर आयुक्त,
आरा नगर निगम, आरा।

ज्ञापांक 2631 दिनांक 27·12·18

प्रतिलिपिः- सहायक निदेशक—सह—संयुक्त सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग,बिहार पटना को उनके पत्रांक 1283/न.वि.एवं. आ.वि. दिनांक 13.06.18 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित।

नगर आयुक्त,
आरा नगर निगम, आरा।

कार्यालय आरा नगर निगम, आरा।

अप्रैल, 2015 से मार्च, 2016 के लेखाओं पर आधारित निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या 1200/16–17 से संबंधित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन

कंडिका संख्या	विषय वस्तु	अनुपालन	अभियुक्ति
1	सैरातों की विभागीय वसूली के कारण निगम को हानि (राशि मो. –46.87 लाख)	कंडिका में उल्लेखित सैरातों की बंदोबस्ती हेतु प्रकाशित विज्ञापन में लगातार छः तिथियाँ प्रकाशित कराई गई थी विगत कई वर्षो से कंडिका में उल्लेखित सैरातों की बंदोबस्ती बार–बार विज्ञापन प्रकाशन के पश्चात भी नही हो पा रही थी फलस्वरूप उक्त सैरातों के विभागीय वसूली का दायित्व कार्यालय कर्मियों को दिया गया, आरा नगर निगम में कर्मियों की काफी कमी है जिसके कारण कर्मी अपने कार्यो के अतिरिक्त विभागीय वसूली का दायित्व निर्वह्न कर रहे थे। विभागीय वसूली से प्राप्त होने वाली राशि को निगम कोष में जगा किया गया था।	
2	बंदोबस्ती की राशि की वसूली नही (राशि रूप्या 11.60 लाख)	कंडिका में उल्लेखित सैरातों के बंदोबस्तधारकों को राशि जमा करने हेतु इस कार्यालय के स्तर से बार–बार नोटिस निर्गत किया गया था जिसके आलोक में कंडिका में उल्लेखित सैरात के क्रम संख्या 4 के बंदोबस्तधारक से 18 प्रतिशत सूद की राशि सहित मो.–3335140/–रूपये की वसूली की जा चुकी है शेष बंदोबस्तधारकों के विरूद्ध निलाम–पत्र दायर की जा चुकी है। छाया–प्रति संलग्न है।	
3	एकल निविदा के माध्यम से योजनाओं का कार्यान्वयन (राशि–166.92 लाख)	राज्य सरकार के अधीन सभी कार्य विभागों में पी.डब्लू.डी. कोड के अनुसार पूर्व से एकल निविदा मान्य थी जिसके आलोक में आरा नगर निगम द्वारा एकल निविदाओं का निष्पादन आरा नगर निगम के सशक्त स्थायी समिति से किया गया। इस संबंध में वित्त विभाग, बिहार पटना की अधिसूचना संख्या–1682 दिनांक 01.03.2016 से एकल निविदा होने की स्थिति में दुबारा निविदा आमंत्रण करने का निदेश दिया गया था तत्पश्चात आरा नगर निगम के स्तर से किसी भी एकल निविदा का निष्पादन नही किया गया है। जहाँ तक श्री मनोज कुमार के बंदोबस्ती में डीफाल्टर होने के पश्चात योजना का कार्यावंटन एवं भुगतान का प्रश्न है तो बंदोबस्तधारक से अवशेष राशि जमा कराने की दिशा में कार्रवाई प्रारम्भ की गई थी तथा योजना का कार्यावंटन लॉट्री के माध्यम से किया गया था जिसके कारण संवेदक से राशि की कटौती नही की जा सकी है। अवशेष राशि जमा करने हेतु श्री मनोज कुमार के विरूद्ध निलामपत्र वाद दायर किया जा चुका है गया है यथा शीघ्र सूद सहित राशि की वसूली की जायेगी।	

4	एल.ई.डी. लाईट के क्रय में अनियमितता	निविदा आमंत्रण में हेतु आरा नगर निगम के स्तर से दिनांक 04.06.2015 को ही सूचना जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को विज्ञापन की प्रति भेजी गई थी निविदा आमंत्रण की तिथि 26.06.2015 को 1.00 बजे दिन निर्धारित था जो लगभग 22 दिन होता है।	
		तत्कालीन नगर आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत डीलर के प्रमाण–पत्रों की सत्यता की जाँच उत्पादक कंपनी के पदाधिकारियों को कार्यालय कक्ष में बुलाने के पश्चात की गई थी जिसमें आरा नगर निगम के महापौर स्वयं उपस्थित थे।	
		अधिष्ठापित 1175 एल.ई.डी. लाईट की तकनीकि जाँच आरा नगर निगम के सहायक अभियंता, मेकेनिकल से कराई गई थी।	
		आरा नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों एवं संबंधित वार्ड के वार्ड जमादार के द्वारा स्वयं के स्तर से लाईट खराब होने की मौखिक सूचना दी जाती थी जिसके आलोक में यथाशीघ्र संवेदक के स्तर से लाईट की मरम्मति कराई जाती थी किसी प्रकार की लिखित सूचना प्राप्त नही हुई है। जिसके लिए अलग से किसी राशि का भुगतान संवेदक को नही किया गया है। वर्तमान में सभी लाईट जल रहे हैं।	
		1175 लाईट के अधिष्ठापन से संबंधित स्थानों की सूची संबंधित वार्ड पार्षदों द्वारा दी गई थी जिसकी छाया–प्रति संलग्न है।	
		सामग्री के वास्तविक मूल्य की जानकारी नही थी जिसके कारण अनुमानित राशि 5 लाख रूप्या निर्धारित किया गया था।	
		भविष्य में इसकी पूनरावृति नही हो इसका समुचित ध्यान रखा जायेगा।	
		उक्त आदेश को कार्यालय पत्रांक 411 दिनांक 02.03.16 के माध्यम से रद्द कर दिया गया था।	
		1175 एल.ई.डी. लाईट का वारंटी कार्ड संचिका में संलग्न नही होने के संबंध में स्पष्ट करना है कि यह कार्य निविदा प्रकाशन के पश्चात न्यूनतम दर दाता को आवंटन के पश्चात आपूर्तिकर्ता के माध्यम से कराया गया है जिनके स्तर से ही सामग्री को वारंटी अवधि में ठीक करना था निविदाता द्वारा वारंटी अवधि में खराब हुये लाईट की मरम्मति कराई गई तथा आवश्यकतानुसार बदला भी गया था।	

4 (ख))	एल.ई.डी. लाईट के क्रय में अनियमितता	निविदा आमंत्रण हेतु आरा नगर निगम के स्तर से दिनांक 14.03.2016 को ही सूचना जन सम्पर्क विभाग, बिहार पटना को विज्ञापन की प्रति भेजी गई थी जिसके तहत तथा निविदा आमंत्रण की तिथि 28.03.2016 को 1.00 बजे दिन निर्धारित था जो लगभग 15 दिन होता है।	
		नगर निगम कार्यालय में तकनीकि कर्मी नही होने के कारण इसकी जाँच नगर प्रबंधक के माध्यम से कराई गई थी तथा जी.ओ.टैग फोटो भी लिया गया था तकनीकि प्रतिवेदन की छाया–प्रति संलग्न।	
		तत्कालीन नगर आयुक्त के द्वारा प्राधिकृत डीलर के प्रमाण–पत्रों की सत्यता की जाँच उत्पादक कंपनी के पदाधिकारियों को कार्यालय कक्ष में बुलाने के प्श्चात की गई थी जिसमें आरा नगर निगम के महापौर स्वयं उपस्थित थे।	
		आरा नगर निगम के निर्वाचित सदस्यों एवं संबंधित वार्ड के वार्ड जमादार के द्वारा स्वयं के स्तर से लाईट खराब होने की मौखिक सूचना दी जाती थी जिसके आलोक में यथाशीघ्र संवेदक के स्तर से लाईट की मरम्मति कराई जाती थी किसी प्रकार की लिखित सूचना प्राप्त नही हुई है। जिसके लिए अलग से किसी राशि का भुगतान संवेदक को नही किया गया है।	
		1655 लाईट के अधिष्ठापन से संबंधित स्थानों की सूची संबंधित वार्ड पार्षदों द्वारा दी गई थी। जिसकी छाया–प्रति संलग्न है। सभी लाईट का जी.ओ.टैग फोटोग्राफ उपलब्ध है।	
		सामग्री के वास्तविक मूल्य की जानकारी नही होने के कारण सुरक्षित जमा की राशि 10 लाख रूप्ये निर्धारित की गई थी।	
		भविष्य में इसकी पूनरावृति नही हो इसका समुचित ध्यान रखा जायेगा।	
		1655 एल.ई.डी. लाईट का वारंटी कार्ड संचिका में संलग्न नही होने के संबंध में स्पष्ट करना है कि यह कार्य आपूर्तिकर्ता के माध्यम से निविदा प्रकाशन के प्श्चात न्यूनतम दर दाता के माध्यम से कराया गया जिनके माध्यम से ही वारंटी का कार्य संपादित कराया जाना था। लाईट की गुणवत्ता की जाँच अंकेक्षण आपत्ति के आलोक मेंइस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2199 दिनांक 03.11.2018 के मायध्म से इस कार्य का थर्ड पार्टी जाँच प्रभारी, इण्डस्ट्रीयल सर्विसेस, बिहार एवं झारखण्ड, एस.जी.एस. इंडिया प्रा० लिमिटेड, न्यू टाउन रजर हॉट कोलकता के माध्यम से कराई गई। थर्ड पार्टी जाँच से संबंधित प्रतिवेदन इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है।	

5	एनेक्सी भवन का अप्रयुक्त पड़ा रहना (राशि–23.72 लाख)	आरा नगर निगम कार्यालय के मुख्य भवन के बगल में निर्मित एनेक्सी भवन का प्रथम तल पूर्ण होने के पश्चात उसका उपयोग विभिन्न प्रकार के बैठकों आदि के लिए किया जाता है चूकि वह एक हॉलनुमा संरचना है अतः उसमें बैठक ही कराया जा सकता है इसके अतिरिक्त उसका पार्टीशन कर कार्यालय के कुछ शाखाओं का भी संचालन करने की योजना है। वर्तमान में इसका उपयोग ई.ई.एस.एल. कम्पनी द्वारा आपूर्तित लाईट के भंडारण हेतु किया जा रहा है।	
6	संचार मिनारो (मोबाईल/इन्टरनेट इत्यादि) पर बकाया (रूपया 358.50 लाख)	बकाया मोबाईल टावर शुल्क वसूली की दिशा में प्रभावी कदम उठाया जा रहा है जिसके तहत मोबाईल टावर का सिल करने आदि का कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है। सभी मोबाईल टॉवरों को माँग पत्र भेजा गया है जिन स्थलों पर मोबाईल टावर अधिष्ठापित है उस भवन का वाणिज्यीक कर प्राप्त किया जाता है। जिसकी छाया–प्रति संलग्न है।	
7	एस. रसीद से वसूली राशि से कम/नही जहा (रूप्या 1336)	राशि जमा कराई जा चुकी है (नाजीर रसीद की छाया–प्रति संलग्न।)	
8	लंबित उपयोगिता प्रमाण–पत्र (राशि रूप्या 2073.20 लाख)	राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराये गये सम्पूर्ण राशि के व्यय के पश्चात समय–समय पर प्रत्येक माह को नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा समीक्षा की जाती है जिसमें व्ययगत राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र समर्पित किया जाता है। भेजे गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र की सूची संलग्न है।	
9	सरकारी/अर्धसरकारी भवनों पर बकाया राशि (रूप्या 173.84 लाख)	आरा नगर निगम द्वारा सरकारी विभागों के स्वामित्ववाले भवनों से भवन कर की वसूली हेतु डिमान्ड नोटिस निर्गत किया गया है। सरकारी विभागों द्वारा आवंटन प्राप्त होने के पश्चात भवन कर उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया है। (डिमान्ड नोटिस की छाया–प्रति संलग्न)	
10	होल्डिंग टैक्स की बकाया (राशि 370.91 लाख)	होल्डिंग कर की वसूली में तीव्रता लाने का निदेश सभी कर संग्राहकों को दिया गया है वसूली में तीव्रता आई है बड़े बकायेदारों को डिमाण्ड नोटिस निर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त उनके विरूद्ध निलामपत्र वाद दायर कर वसूली की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है।	
11	दुकानों का बकाया किराया (राशि 35.00 लाख)	दुकान किराया की वसूली में तीव्रता लाने का निदेश सभी कर संग्राहकों को दिया गया है बड़े बकायेदारों को डिमान्ड नोटिस निर्गत किया गया है इसके अतिरिक्त उनके विरूद्ध निलाम–पत्र दायर करने तथा दुकानों का सील करने की दिशा में अग्रेतर कार्रवाई प्रारम्भ की जा रही है।	
12	बैंक समाधान विवरणी नही बनाया जाना (राशि 290.58 लाख)	कर्मियों की कमी के कारण बैंक समाधान विवरणी तैयार नही कराया जा सका है भविष्य में इसे तैयार कराया जायेगा।	

13	शुल्क प्राप्ति रसीदों के बिना ही विभागीय वसूली	राजस्व वसूली को ध्यान में रखते हुए 01 अप्रेल से वसूली प्रारम्भ किया जाना था जबकि शुल्क प्राप्ति रसीद छपने में विलंब था।	
14	व्यय का उद्देश्य ज्ञात नही राशि (राशि 1.73 लाख)	सम्पतिकर मद के बैंक खाता के जाँच के पश्चात ज्ञात हुआ कि चेक संख्या–1763 दिनांक 14.3.16 के माध्यम से मो.–87244 रूप्ये एवं चेक संख्या–1764 दिनांक 16.3.16 राशि मो.–36133 रूप्ये से कमीशन कर संग्राहकों के 4 प्रतिशत कमीशन का भुगतान किया गया था तथा 50000 रूप्ये की राशि बैंक द्वारा रिजेक्ट किया गया था जिसका चेक संख्या–102862 था।	
15	अप्रस्तुत होल्डिंग रसीद	सभी होल्डिंग रसीद निगम कार्यालय में कमीशन कर संग्राहकों द्वारा कोषपाल के समक्ष जमा किया गया था परन्तु कार्यालय के साफ–सफाई के क्रम में गुम हो गया जिसकी सूचना समाचार–पत्र में भी प्रकाशित कराई गई थी। समाचार–पत्र के कतरन की छाया–प्रति संलग्न है।	

नगर आयुक्त,
आरा नगर निगम, आरा।